

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ योजना जल सं०-०१/२०१२ भाग-१

।।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता हजारीबाग;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : १६.५.१२

विषय :-

मॉग संख्या-४९-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-८०-सामान्य, लघु शीर्ष -८००-अन्य व्यय, उप शीर्ष -७१-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत ११-१२ में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180800710545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-१ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-२ में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	४९-जल संसाधन विभाग / ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय / ८०-सामान्य	लघु शीर्ष -८००-अन्य व्यय, उप शीर्ष -७१-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत ११-१२ में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व,	०५-निर्माण, ४५ मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड ४९P470180800710545	५५०.३१९८३

आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ पचास लाख ईकातीस हजार नौ सौ तिरासी मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१२-१३ के संशोधित बजट उपबंध रु. १५००.०० लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

J.I.U.

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

२०१२

(सुबोध कुमार सिंहा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(वी. सी. निगम)

विशेष सचिव

।।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

।। रॉची, दिनांक :- 16.5.12

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ज्ञारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

।। रॉची, दिनांक :- 16.5.12

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सारिखी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, ज्ञारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक—यथोक्त।

१८८५
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

१८८६
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

१८८७
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

१८८८
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

1942
1941
1940

卷之三

卷之三

2
6
1
8
3
5
7
4

27
21
10
21
31
11
41
61
21
19
91
49
40
18
80
70
51
40

2012-2013
SCHOOL YEAR
REGISTRATION
IS NOW OPEN.

1. *Leviathan* (1651) by Thomas Hobbes.

This block contains four vertical columns of stylized characters, likely from a traditional Chinese manuscript. The characters are written in a cursive or seal script style. The first column on the left has four characters. The second column has three characters. The third column has two characters. The fourth column on the right has three characters.

卷之三

पत्रांक :- 11

दिनांक 16.5.12 का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड : 49P470180800710545

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	एकरारनामा सं० / तिथि	पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
चालू कार्य								
1 जलपथ प्रमंडल, बरहा जलाशय योजना पचाहरो	i	Head Works- River Closure (1200.00 M to 1370 M) with Construction of Cofferdam	SBD-01/11-12	0.00000	300.00000	300.00000		
	ii.	Residual work of Earthen Dam from 1370.00 to 2182.00 M and left dyke O to 254 M	03F2/05-06	0.00000	50.00000	50.00000		
	iii.	Residual work of Spill Channel	01F2/07-08	0.00000	100.00000	100.00000		
	iv	Distribution System (Main Canal) - Earth work from ch. 0.000 to ch. 20.00 of LMC	05F2/05-06	0.00000	1.10000	1.10000		
	v	Residual earth work from ch. 20.00 to ch. 45.47 of LMC	21F2/09-10	0.00000	2.33000	2.33000		
	vi	Residual earth work from ch.45.47 to ch. 109.47 of LMC	01F2/09-10	0.00000	1.51000	1.51000		
	vii	Residual earth work from ch.133.77 to ch. 172.00 of LMC	09F2/07-08	0.00000	3.19000	3.19000		
	viii	Construction of H/R-cum-C/R	10F2/07-08	0.00000	3.30000	3.30000		
	ix	Residual earth work from ch. 20.50 to ch. 45.10 of RMC	02F2/02-03	0.00000	1.18000	1.18000		
	x	Construction of CD at ch. 29.50 & 41.00 of RMC	14F2/02-03	0.00000	1.77000	1.77000		
Total				0.00000	464.38000	464.38000		
नये कार्य								
1 न्याय निर्णय से संबंधित कार्य	1	A-Preliminary		0.00000	2.00000	2.00000		
		Head Work -		0.00000	0.00000	0.00000		
	i	Cleaning Hume Pipe, stilling basin thrash rack of right and left outlet.		0.00000	1.50000	1.50000		
	ii.	Constructionn of 2 Nos. Ramp, 2 Nos. Culvert and Road over Ramp.		0.00000	15.00000	15.00000		
	iii.	Inspection vehicle		0.00000	3.00000	3.00000		
		Total		0.00000	21.50000	21.50000		
न्याय निर्णय से संबंधित कार्य								
1	भू-अर्जयाद नं.-273/09 से 337/09 में दिनांक 30.04.2011 को पारित न्याय निर्णय एवं न्यायालय पंचाट के अनुसार घोषित एवार्ड की राशि के भुगतान हेतु।				0.00000	64.43983	64.43983	
					Total	0.00000	64.43983	64.43983
				G. Total	0.00000	550.31983	550.31983	

आवंटित राशि – ₹ पाँच करोड़ पचास लाख इक्कतीस हजार नौ सौ तिरासी मात्र।

S.R.C.L(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंताAS(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)M.J.
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिवLJ
(एस० कॉ. शतपथी)
प्रधान सचिव